संख्या–75 /XVI/08/7(3)/2

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः 1 देहरादूनः दिनांक 20 फरवरी,2008

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से विभिन्न राजकीय उद्यानों में विविध प्रकार के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–529/निर्माण/2007–08/दिनांक–20/12/2007, पत्रांक–531/निर्माण/2007–08,दिनांक–20/12/2007,पत्रांक–644/निर्माण/2007–08 दिनांक–04/01/2008 एवं पत्रांक–645/निर्माण/2007–08, दिनांक–04 जनवरी,2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि राजकीय उद्यानों का सृदृढीकरण योजनान्तर्गत राजकीय उद्यान ढकरानी,देहरादून में बाउन्ड्रीवाल एंव लोहे के गेट का निर्माण कार्य, राजकीय उद्यान चौबटिया–रानीखेत में नव विद्युतीकरण कार्य, राजकीय उद्यान क्वींटी,मुनस्यारी में घेरबाड़/कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा गठित 04–आगणनों की धनराशि रू0–46.16 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त संस्तुत रूपये–33.22 लाख (रूपये तैतीस लाख बाईस हजार मात्र) की लागत के संलग्न आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करा लिया जाय, तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, एवं बाजार भाव से ली गई हों, का अनुमोदन भी नियमानुसार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से करा लिया जाय। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना ऐसी स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाये,तथा निर्माण कार्य करने से पूर्व पुनः लो0नि0वि0 की दरों पर दर–विश्लेषण कर कार्यदायी संस्था के अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करा ली जाय।

3–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानकों से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेक अप किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

..2/-

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय। भवनों के निर्माण में भूकम्परोधी तकनीक/डिजायन का उपयोग सुनिश्चित किया जाय,साथ ही भवनों में ऊर्जा खपत कम करने के दृष्टिकोण से सोलर पेसिव वास्तुकला का प्रयोग भी किया जाय।

9–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–2047/XIV–219/2006, दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का, कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10–जी0पी0डब्लू फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा,तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11–उक्त स्वीकृत धनराशि संलग्न विवरण के कालम–03 पर अंकित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा अथवा नियमानुसार प्रचलित व्यवस्थानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

13–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के प्रथम अनुपूरक अनुदानान्तर्गत उद्यान विभाग के अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–10–उद्यानों का सुदृढीकरण–24–वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट व्यवस्था, जो कि शासनादेश संख्या–1339/XVI/07/7(71)/2007 दिनांक–09 जनवरी,2008 के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखी गयी है, के नामे डाला जायेगा।

14–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–470(P)/XXVII–4/2007, दिनांक–18 फरवरी,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–75/XVI/08/7(3)/2008 तददिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी,अल्मोडा/देहरादून/पिथौरागढ़/कोषाधिकारी,रानीखेत/डीडीहाट,उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. परियोजना प्रबन्धक ,भारत इटली फल विकास परियोजना, देहरादून।
5. जिला उद्यान अधिकारी,देहरादून/आलू विकास अधिकारी–मुनस्यारी,पिथौरागढ़।
6. अधीक्षक,राजकीय उद्यान,चौबटिया–रानीखेत।
7. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता,विद्युत वितरण खण्ड,रानीखेत।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड,पिथौरागढ़।
10. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,देहरादून।
11. आयुक्त, गढवाल मण्डल,पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
12. जिलाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
13. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अहमद अली)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–75 /XVI/08/7(3)/2008 दिनांक–20 फरवरी,2008 का संलग्नक

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	राजकीय उद्यान का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का विवरण	आगणन की लागत (रू0लाख में)
01	राजकीय उद्यान ढकरानी, देहरादून	उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।	बाउन्ड्रीवाल एवं लोहे के गेट का निर्माण कार्य।	12.80
02	राजकीय उद्यान चौबटिया,रानीखेत	विद्युत वितरण खण्ड,रानीखेत।	नव विद्युतीकरण कार्य	4.86
03	राजकीय उद्यान, क्वीटी मुनस्यारी, पिथौरागढ़	सिंचाई निर्माण खण्ड,पिथौरागढ़।	घेरबाड़ निर्माण कार्य	6.24
04	राजकीय उद्यान, क्वीटी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	सिंचाई निर्माण खण्ड,पिथौरागढ़।	कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण कार्य	9.32
			कुल योग :–	33.22

(रू0 तैंतीस लाख बाईस हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।